

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ4(ई)/(एस-126)/(92)अलेसे-III/12159

दिनांक 27.11.2015

श्री संजय कुमार शर्मा,
कनिष्ठ लेखाकार
कार्यालय उपनिदेशक, कृषि (विस्तार),
विभाग, जिला परिषद, भरतपुर ।

नोटिस

विषय:-विभागीय आदेशों की पालना में कार्यग्रहण करने के संबंध में ।

विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय आदेश क्रमांक 50/15-16 दिनांक 30.06.2015 द्वारा आपका पदस्थापन कार्यालय उपनिदेशक, कृषि (विस्तार) विभाग, जिला परिषद, भरतपुर से संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, भरतपुर में किया गया था । इस संबंध में आपको विभागीय आदेश क्रमांक 12042-50 दिनांक 10.11.2015 द्वारा कार्यमुक्त कर नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था । आपके द्वारा नवीन पद पर कार्यग्रहण करने की रिपोर्ट अभी तक अपेक्षित है ।

आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30.11.2015 तक नवीन पद पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण की रिपोर्ट अविलम्ब फैक्स संख्या 0141-2742309 पर भिजवावे अन्यथा आपके विरुद्ध विभागीय आदेशों की अवहेलना के क्रम में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी ।

(प्रदीप माथुर)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)

दिनांक

क्रमांक:-एफ4(ई)/(एस-126)/(92)अलेसे-III/
प्रतिलिपि:-

1 उपनिदेशक एसीपी कम्प्यूटर शाखा ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)